

24/10/19

पत्रावली पेश हुई। केवियट प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित अपील आदि प्रकरण आज दिनांक तक किसी पक्षकार की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। चूंकि प्रस्तुत केवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतित हो चुका है, जिसके अन्तर्गत केवियट प्रार्थना पत्र अब उपरोक्त स्थिति में सारहीन हो चुका है। लिहाजा केवियट प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

24/10
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर